संख्या : 16-दो(5)/XXXVI(1)/2007-08-1-दो(5)/07

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
त्वरित न्यायालय परिसर, देहरादून ।

न्याय अनुभाग - 2

देहरादून : दिनांक : ३० जनवरी, 2008

विषयः-वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-553/रा०वि०से०प्रा०देहरादून/2007-08,दिनांक 9.10.2007 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 4-दो(5)/XXXVI(1)(2)/2007-1-दो(5)/07, दिनांक 17.7.2007 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के उपयोगार्थ मानक मद संख्या-02-मजदूरी से रु० 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) की अतिरिक्त धनराशि व्यय किये जाने की महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) कृपया प्रत्येक माह होने वाले व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0-13 में अंकित कर उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

(2) उपर्युक्त धनराशि बजट मैनुअल के तत्सम्बन्धी नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी ।

(3) कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त अनुदान से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय एवं उपरोक्त मदों में विशेष रुप से मितव्ययता बरती जाय ।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक ''2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-05-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण-00-02-मजदूरी'' से किया जायेगा ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव ।

संख्या : 16-दो(5)/XXXVI(1)/2007-08-1-दो(5)/07-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
3- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
4- एन०आई०सी०/सम्बन्धित सहायक/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।